| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | मे वादपत्र के कथन नं. 6 में यह जाहिर किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 28 परफोर्मा पक्षकार हैं तथा वादीगण ने इनके विरुद्ध किसी प्रकार कोई अनुतोष नहीं चाहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 28 प्रफोर्मा पक्षकार होने व इनके विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने के कारण प्रति० संख्या 3 से 28 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी ने पुनः तलबाना पेश किया। शामिल किया गया। प्रति० को जरिए सम्मन तलब कर पत्रा० वास्ते जवाब दिनांक 11.1.22 को पेश हो। |
| 3/12/21 | वकील मय वादी द्वारा प्रार्थना पत्र तलब कर वाद विड्रोल खारिज करने हेतु पेश करने से पत्रावली आज पेश हुई। <br> प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त अदालत के वाद में वादीगण आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, पुनः वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद जरिये विड्रोल खारिज करावें। प्रार्थना [illegible] हो। <br> इसके पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकार का कोई जवाब दावा नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश करने से वादीगण का वाद पुनः वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वादीगण का वाद जरिये विड्रोल खारिज [illegible] केवल [illegible] होकर [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो [illegible] |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:28:13 IST
Reason: SelfAttested